कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन–834002, Email :- pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक– 555 राँची, दिनांक 27/6/2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर।

विषय :– **धालभूमगढ़ हवाई अड्डा के विकास हेतु 99.256 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– आपका पत्रांक 716 दिनांक 25.06.2022 एवं वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल का ज्ञापांक 1329 दिनांक 25.06.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयगत प्रस्ताव पर इस कार्यालय के पत्रांक 265 दिनांक 09.04.2020 एवं 199 दिनांक 02.03.2022 द्वारा किए गये पृच्छाओं के निराकरण के संबंध में प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। इन समर्पित प्रतिवेदनों में उल्लिखित पृच्छा सं0– 1, 4, 6, 7 एवं 8 का अनुपालन कर प्रतिवेदन हार्ड कॉपी में समर्पित किया गया है तथा इसकी ऑनलाईन प्रविष्टि भी की गई है, किन्तु पृच्छा सं0– 2, 3 एवं 5 का अनुपालन अभी भी लंबित है।

2. प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में लंबित पृच्छाओं की स्थिति एवं इसके अपेक्षित निराकरण की कंडिकावार विवरणी निम्नांकित है :–

पृच्छा सं0	पृच्छा	प्रासंगिक पत्रों द्वारा समर्पित अनुपालन	वन प्रमण्डल पदाधिकारी के स्तर पर अपेक्षित निराकरण	वन संरक्षक के स्तर पर अपेक्षित निराकरण
2.	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न कर समर्पित किए गए Part-II ऑफलाईन एवं भरे गए ऑनलाईन Part-II के क्रमांक 13 "Specific Recommendation of DFO" में अंकित टिप्पणी विरोधात्मक है।	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रस्ताव के Part-II में "Specific Recommendation of DFO" को पुनः अंकित कर अलग से समर्पित किया जायेगा।	Revised "Specific Recommendation of DFO" की हार्ड कॉपी एक request letter के साथ उपलब्ध कराई जाय, ताकि Nodal Officer द्वारा PARIVESH Portal पर ऑनलाईन इसे change कर upload किया जा सके। Revised Site Inspection Report संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी, स्वयं अपने स्तर से ही PARIVESH Portal पर login कर change कर upload कर सकते हैं। पुनरीक्षित Site Inspection Report of DFO की हार्ड कॉपी समर्पित की जाय।	Revised "Specific Recommendation of CF" की हार्ड कॉपी एक request letter के साथ उपलब्ध कराई जाय, ताकि Nodal Officer द्वारा PARIVESH Portal पर ऑनलाईन इसे change कर upload किया जा सके। Revised Site Inspection Report संबंधित वन संरक्षक स्वयं अपने स्तर से ही PARIVESH Portal पर login कर change कर upload कर सकते हैं। पुनरीक्षित Site Inspection Report of CF की हार्ड कॉपी समर्पित की जाय।
3	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर द्वारा भरे गए Part-II ऑफलाईन में Rare/Endangered/Unique species के नाम का उल्लेख किया गया है किन्तु Online Part-II में क्रमांक 8(V) में "Yes" अंकित है, परन्तु Details उल्लेखित नहीं है।	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि Online Part-II में क्रमांक 8(V) में "Yes" अंकित करते हुए Details उल्लेखित कर दिया गया है।	Nodal Officer के स्तर से login करने पर Form-A, Part-II के कॉलम– 8(V) में वांछित Details प्रदर्शित (Visible) नहीं हो रहा है। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल इस पर अनुपालम सुनिश्चित करें।	—

वन संरक्षक पत्रांक 1773 दिनांक 28-06-2022 प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर

Q 28/06/2022

5	प्रस्ताव के साथ वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत् प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है। साथ ही ग्रामसभा की कार्यवाही की प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल के पत्रांक 1329 दिनांक 25.06.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उनके कार्यालय पत्रांक 1204 दिनांक 08.06.2022 द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण को प्रस्ताव से संबंधित वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत उपायुक्त का प्रमाण पत्र एवं ग्राम सभा की कार्यवाही की प्रति समर्पित करने हेतु स्मार दिया गया है। प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही समर्पित कर दी गई जाएगी।	वांछित प्रमाण–पत्र प्राप्त करने संबंधी अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जाय। प्रमाण–पत्र प्राप्त होते ही समर्पित किया जाय।	–

3. इसके अतिरिक्त कृपया इस कार्यालय के ज्ञापांक 746 दिनांक 28.06.2021 का निदेश करें, जिसके द्वारा वनभूमि अपयोजन प्रस्तावों के ऑनलाईन प्रसंस्करण को नोडल कार्यालय में समर्पित करने के संबंध में दिशा–निर्देश दिये गये हैं (छायाप्रति सानुलग्नक संलग्न)। उक्त प्रेषित दिशा–निर्देश के आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भरे जाने वाला Form-A, Part-I Offline Form जिन पर प्रयोक्ता अभिकरण का नाम, पदनाम एवं तिथियुक्त हस्ताक्षर अंकित रहता है, को प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Additional Documents के रुप में ऑनलाईन upload नहीं किया गया है तथा इसकी हार्ड कॉपी भी प्रस्ताव में अनुपलब्ध है। साथ ही वन प्रमण्डल पदाधिकारी, द्वारा भरा जाने वाला Part-II Offline Form की अद्यतन / पुनरीक्षित हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी की प्रति समर्पित नहीं की गई है तथा इसे Additional Documents के रुप में भी ऑनलाईन upload नहीं किया गया है।

4. साथ ही Part-II Online filled Form के क्रमांक 13 में Uploaded Additional Documents के सामने Remarks column में प्रत्येक Document का ब्यौरा अंकित नहीं किया गया है।

अतः अनुरोध है कि लंबित पृच्छा संख्या– 2, 3 एवं 5 के अनुपालन हेतु वांछित निराकरण प्रतिवेदन ऑनलाईन एवं ऑफलाईन यथाशीघ्र समर्पित करने की कृपा की जाय। इसके साथ ही उपरोक्त कंडिका–3 एवं 4 में वांछित ऑनलाईन सुधार कर प्रतिवेदन हार्ड कॉपी में अविलम्ब समर्पित किया जाय ताकि प्रस्ताव पर अग्रतर कार्रवाई की जा सके। इस पत्र की प्रति वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल को भी दी जा रही है।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

27. 06. 2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

Send Mail

कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर।

ज्ञापांक : 765 दिनांक : 04-07-2022

प्रतिलिपि : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 : यथोक्त।

4/07/2022

वन संरक्षक,

प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर।

5(?)

कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची ।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन–834002, Email-pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक– 746 राँची, दिनांक– 28/6/2021

सेवा में,

सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
प्रादेशिक / वन्यप्राणी प्रमण्डल।

विषयः– वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् वनभूमि अपयोजन प्रस्तावों के **ऑनलाईन प्रसंस्करण के संबंध में सामान्य दिशा–निर्देश।**

महाशय,

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् प्राप्त होने वाले प्रस्तावों के अग्रसारण के क्रम में परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन देखे जाने पर यह पाया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भरे जाने वाला Form-A, Part-I (छायाप्रति संलग्न) तथा संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी के स्तर से भरे जाने वाला Part-II (छायाप्रति संलग्न) में संबंधित प्रयोक्ता अभिकरण एवं वन प्रमण्डल पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं तिथियुक्त हस्ताक्षर रहता है, को Online upload नहीं किया जा रहा है, जिस कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावों को पृच्छा कर वापस कर दिया गया है। साथ ही स्टेज–I की स्वीकृति के उपरान्त अनुपालन किये जाने पर प्रत्येक स्तर पर हार्ड प्रति की भाँति ही सभी प्रतिवेदन अनुलग्नकों सहित सक्षम प्राधिकार द्वारा हस्ताक्षरित करने के उपरान्त PDF File बनाकर Upload किया जाना आवश्यक है। ऐसा नहीं होने पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वांछित अनुपालन नहीं होने के कारण प्रस्ताव को वापस किया जा रहा है। अधूरा ऑनलाईन प्रस्ताव समर्पित करने के कारण प्रस्तावों के निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।

ज्ञातव्य हो कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक F.No.- 5-2/2017-FC दिनांक 28.03.2019 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत स्वीकृत Handbook of Guidelines के Para-1.3 "Procedure for submission of proposals" में वनभूमि अपयोजन प्रस्तावों को नोडल कार्यालय में समर्पित करने के संबंध में दिशा–निर्देश दिये गये हैं (छायाप्रति संलग्न)। कृपया इन निदेशों का संज्ञान लें एवं प्रयोक्ता अभिकरण को भी Hand holding करें।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त Online process के समय निम्नांकित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय :–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भरे जाने वाले Form-A, Part-I, जिनपर प्रयोक्ता अभिकरण का नाम, पदनाम एवं तिथियुक्त हस्ताक्षर अंकित रहता है, को प्रयोक्ता अभिकरण PARIVESH पोर्टल पर Additional documents के रूप में Online upload किया जाय।

2. वन प्रमण्डल पदाधिकारी Part-II जिसपर नाम, पदनाम एवं तिथि अंकित रहता है, को PARIVESH पोर्टल पर Additional documents के रुप में ऑनलाईन Upload करना सुनिश्चित करेंगे।

3. इसके अतिरिक्त Online application process करने अथवा स्टेज–I के अनुपालन के समय जो भी अभिलेख Online upload किये जाते हैं, को कृपया सुनिश्चित कर लिया जाय कि वे सभी प्रतिहस्ताक्षरित हो तथा प्रत्येक स्तर पर अनुपालन अभिलेख Upload किये जाय।

अनुलग्नक – यथोक्त।

विश्वासभाजन,

20/6

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :– 746 दिनांक :– 28/6/2021

प्रतिलिपि :– अनुलग्नकों की प्रति के साथ सभी वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल / मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, राँची / मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, मेदिनीनगर / सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

20/6

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

28/6/2021

recommended that Ministry may clarify the matter by way of issuance of guidelines stating clearly that balance only 50% of NPV will need to be paid in case of surface use of forestland where diversion for underground mining has already been considered.

Additional Agenda

Acceptance of proposals submitted through online mode at PARIVESH Portal – reg.

1. The above stated agenda item was considered in the FAC meeting held on 29th April 2021.
2. It was informed that, with the advent of online FC module for the submission, monitoring and tracking of applications seeking prior approval of the Central Government under the Forest (Conservation) Act, 1980, the Ministry, vide its guidelines dated 24.07.2014 had clarified that from 15th July, 2014 onwards, all new forest clearance proposals will be accepted through online mode only. To facilitate smooth transition i.e. shifting from physical mode to online mode, it was also clarified in the said guidelines that for the initial one month, the project proponent will have the option to submit the proposal for forest clearance in both online mode through MoEF&CC's portal or in the offline mode as was being done by prior to 15th July, 2014.
3. Subsequently, FC module providing for online submission of FC applications was integrated with PARIVESH portal and the said portal was made functional from 10.08.2018 onwards.
4. During the intervening period, Ministry has been advising it IROs to process the FC cases received through online mode only. However, it has been noticed that FC proposals are not being processed without submission of hard/physical copy.
5. As per Ministry's Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 issued on 28.03.2019at para 1.3 it is stipulated that

536

"1.3. Procedure for submission of proposals: All proposals for diversion of forest land for any non-forest purpose, irrespective of its ownership, requiring prior approval of the Central Government under FCA shall be submitted to the Nodal officer of the State/UT Government, online in the appropriate form and as per the procedures & requirements prescribed under the Forest (Conservation) Rules 2003, as amended from time to time."

Decision of FAC

After thorough deliberation and discussion by FAC with Regional officers IRO Bengaluru,Bhopal, Chandigarh and Shillong, it is recommended that processing of FC proposals will be based on submission of details/documents/information online on PARIVESH portal and deficiencies/ inaccuracies/ inappropriateness of the information/details/documents shall be the liability of the concerned user agency as well as State/Union Territory of Administration. If there is to be any exception to On-line processing due to technical issues such as limited access to internet (e.g. in some islands of A&N), the PCCF&HoD/HoFF shall make suitable prior arrangement for off-line processing of cases in consultation with the concerned IRO and in the meantime shall endeavour to move to 100% online processing as soon as possible.

******

(Confirmed through email)
(Sh S. D. Vora)
Member

(Confirmed)
(Sh Brijendra Swaroop)
Inspector General of Forests (FC)

(Confirmed through email)
(Sh Anmol Kumar)

(Confirmed through email)
(Dr Sanjay Deshmukh)

5(20)

APPENDIX (See Rule 6)

FORM – 'A'

Form for seeking prior approval under section 2 of the proposals by the State Governments and other authorities

PART-I

(to be filled up by user agency)

1. Project details:

   (i) Short narrative of the proposal and project/scheme for which the forest land is required.

   (ii) Map showing the required forest land, boundary of adjoining forest on a 1:50,000 scale map.

   (iii) Cost of the project.

   (iv) Justification for locating the project in forest area.

   (v) Cost-benefit analysis (to be enclosed).

   (vi) Employment likely to be generated.

2. Purpose-wise break-up of the total land required.

3. Details of displacement of people due to the project, if any:

   (i) Number of families.

   (ii) Number of Scheduled Castes/Scheduled Tribe families

   (iii) Rehabilitation plan (to be enclosed)

4. Whether clearance under Environment (Protection) Act, 1986 required? (Yes/No).

5. Undertaking to bear the cost of raising and maintenance of compensatory afforestation and/or penal compensatory afforestation as well as cost for protection and regeneration of Safety Zone, etc. as per the scheme prepared by the State Government (undertaking to be enclosed).

6. Details of Certificates/documents enclosed as required under the instructions.

Signature

(Name in Block letters)

Designation

Address (of User Agency)

Date: - ....

Place: - ....

State serial No. of proposal

(To be filled up by the Nodal Officer with date of receipt)

539

PART-II

(To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forests)

State serial No. of proposal ____________

7. Location of the project/Scheme:
   i) State/Union Territory
   ii) District
   iii) Forest Division
   iv) Area of forest land proposed for diversion (in ha.)
   v) Legal status of forest
   vi) Density of vegetation
   vii) Species-wise (scientific names) and diameter class-wise enumeration of trees (to be enclosed. In case of irrigation / hydel projects enumeration at FRL, FRL-2 meter & FRL-4 meter also to be enclosed.)
   viii) Brief note on vulnerability of the forest area to erosion.
   ix) Approximate distance of proposed site for diversion from boundary of forest.
   x) Whether forms part of National Park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, etc. (If so, the details of the area and comments of the Chief Wildlife Warden to be annexed)
   xi) Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area-if so, details thereof.
   xii) Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area. If so, the details thereof with NOC from competent authority, if required.

8. Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency in col. 2 of Part-I is unavoidable and barest minimum for the project. If no, recommended area item-wise with details of alternatives examined.

9. Whether any work in violation of the Act has been carried out (Yes/No). If yes, details of the same including period of work done, action taken on erring officials. Whether work in violation is still in progress.

10. Details of compensatory afforestation scheme:
   i) Details of non-forest area/degraded forest area identified for compensatory afforestation, its distance from adjoining forest, number of patches, size of each patch.
   ii) Map showing non-forest/degraded forest area identified for compensatory afforestation and adjoining forest boundaries.
   iii) Detailed compensatory afforestation scheme including species to be planted, implementing agency, time schedule, cost structure, etc.
   iv) Total financial outlay for compensatory afforestation scheme.
   v) Certificates from competent authority regarding suitability of area identified for

compensatory afforestation and from management point of view. (To be signed by the concerned Deputy Conservator of Forests).

11. Site inspection report of the DCF (to be enclosed) especially highlighting facts asked in col. 7 (xi, xii), 8 and 9 above.

12. Division/District profile:

    i) Geographical area of the district.

    ii) Forest area of the district.

    iii) Total forest area diverted since 1980 with number of cases.

    iv) Total compensatory afforestation stipulated in the district/division since 1980 on

        (a) forest land including penal compensatory afforestation,

        (b) non-forest land.

    v) Progress of compensatory afforestation as on (date) ______________ on

        (a) forest land

        (b) non-forest land.

13. Specific recommendations of the DCF for acceptance or otherwise of the proposal with reasons.

Signature

Name

Official Seal

Date: -______________

Place: -______________